

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन संभाग-6 नोएडा(उ०प्र०)

नोएडा नोएडा/मु०वा०/नो०/11 - 208/56
दिनांक: 22-10-12

प्रति,

मैसर्स प्रतीक इन्फ्रा प्रोजेक्ट (इंडिया) (प्रा०) लिमिटेड,
ए - 42, सैक्टर - 67,
नोएडा (उ०प्र०)

आपने दिनांक 20.06.2012 को अपने मे आम द्वारा प्रस्तुतित गुप हार्जिसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड सं० जीएच-01/ए के उक्त विभाजित भूखण्ड संख्या जीएच - 01/ए.(बीटा - 2), सैक्टर - 107, नोएडा पर विमललिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्र की दशा स्वीकृति से इस भूखण्ड में सम्बन्धित किसी भी शासकीय विकास उम्मे (नगरपालिका) या अन्य प्राधिकरण, निजी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जाएगा।
3. उक्त मानचित्र द्वारा प्रयोजन हेतु स्वीकृत कारवायें तथा इन्हें केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास कार्य किया जावेगा तो वह किसी भी आपत्ति के डेव के बिना।
5. भूखण्ड की स्थितियों द्वारा तय से तय हो जायेगा कि जब वह खुले तो उसके पहले किसी सरकारी भूमि का तबका को आम तौर पर स्वीकृत न होगा।
6. भूखण्ड की सीमा में भूखण्ड के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटन द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों को एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी नौके पर सभी भी जॉब की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के प्रतीक/प्रकरण नोएडा भवन निर्माण की नीति के अनुसार ही किया जायेगा। आवंटन तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन निर्माण विभाग यातायात द्वारा निरीक्षण करने की दशा में भूखण्ड का निर्माण कार्य पूरा होगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटन भूखण्ड का अलग/अलग रूप से स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बक स्पेस में कोई रेम अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
11. आवंटन द्वारा जहाँ एवं मर को निकाला की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकाश) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटन उसे दूकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा वगैरह पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हो अथवा उसको पूर्णजीविन करा दिया जा। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता पट्टे की वैधता मिले तक समझा जायेगा।
13. आवंटन को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवंटन करने समय सम्बन्धित विभाग से निम्नानुसार समायोजित पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

For Prateek Infra Projects India Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

14. अवशेष भिमांग कार्य पूरा करने के बाद तहखान की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकल्प नीएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट्स (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010, तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. सम्बंधित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रीनवाटर हावैस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राधिकारों के अन्तर्गत करना होगा।
17. प्रस्तावित मानचित्र के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं मन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.08 में निहित प्रावधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पुनः पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकल्प से प्रस्तुत करना होगा है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर पूर्व स्वीकृति के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नीएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. ग्रुन हाउसिंग भूखण्ड सं० जीएच-01/ए सैक्टर - 107 के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में सन्तुलित जनसंख्या घनता का संकली से पालन करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वेधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभाग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आड्डा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लाये।

- भूखण्ड सं० जीएच-01 के उप विभाजित क्षेत्रफल 27,941.950 वर्ग मी०
- अनुमत्य भू आच्छादित क्षेत्रफल है 35% 9779.682 वर्ग मी०
- अनुमत्य एफ.ए.आर. 2.75 76,840.362 वर्ग मी०

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नादुसार है:-

तल	अनुमत्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	प्रस्तावित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी०)
भूतल	शर एफ०ए०आर०	1914.714
प्रथम तल		2819.761
द्वितीय तल		2819.761
तृतीय तल		2819.761
चतुर्थ तल		2819.761
पंचम तल		2819.761
छठवा तल		2819.761
सातवा तल		2819.761
आठवा तल		2819.761
नौवा तल		2819.761
दसवा तल		2819.761
ग्यारहवा तल		2819.761
बारवा तल		2819.761

For Prateek Infra Projects India Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल	रक एफ0ए0आर0	2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2819.761
सिमेंट तल		2428.870
सिमेंट तल		2083.378
सिमेंट तल		1328.119
सिमेंट तल		982.627
सिमेंट तल		345.492
कुल एफ0ए0आर0	76.840.363	76,757.464
तहखाना	सदरक तहखाना व प्रस्तावित क्षेत्रफल (मौजूदा, निर्माणाधीन एवं सेवा क्षेत्रफल)	23827.815
तहखाना		23827.815
सेवा क्षेत्रफल		11525.999
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	= 76,757.464 + 23827.815 + 23827.815 + 11525.999 = 1,35,939.093 वर्ग मीटर	

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 4847.633 वर्ग मी० (17.35 ए०)
 प्रस्तावित एफ0ए0आर0 76757.464 वर्ग मी० (2.75)

नाम.....
 पद.....
 श्री. नरेश कुमार
 मुख्य अभियंता, विभाग-3

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक (ग्रुप हा०) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेटरी
 स्टेट लेवल एन्वारमेंट इम्पैक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०
 क्वांटेक्टिव ऑफ एन्वारमेंट,
 डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1,
 मोमती नगर, बखानरा 226010, उ०प्र०
 को सादर सूचनाार्थ ।

For Prateek Infra Projects India Pvt. Ltd.

Authorised Signatory